

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड –2, पंचम तल, पर्यावरण भवन, भोपाल

क्र. 23107 / 22 / वि-12 / WB-24 / 2016

भोपाल, दिनांक 11 / 11 / 2016

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(म.प्र.)

विशय:- विंव बैंक की सहायता से एम.पी.आर.सी.पी. में प्रस्तावित मार्गों के डी.पी.आर. के संबंध में।

.....0.....

विशयांतर्गत लेख है कि, वर्तमान में एम.पी.आर.सी.पी. याजना के अंतर्गत प्रस्तावित पैकेजों की डी.पी.आर. के परोक्षण कार्य प्रगति पर है। परोक्षण में डी.पी.आर. में काफी कमियाँ पाई गई, जिससे ऐसा प्रतोत होता है कि, आपके द्वारा समुचित स्तर पर डी.पी.आर. का परोक्षण नहीं किया गया है। विश्वबैंक मिशन ने भी डी.पी.आर. की क्वालिटी पर प्रश्न उठाया है, परोक्षण में कुछ कमियाँ निम्नानुसार है :—

(1) ट्रांजिटवॉक :- ट्रांजिटवॉक में लक्ष्य ग्राम एवं मार्ग के बीच में आने वाले ग्रामों के ग्रामवासियों की मोटिंग लिये जाकर उनसे प्राप्त सुझाव/मांगों को परिचर्चा में उल्लेख किया जाना है, तथा उन सुझावों/मांगों में से दिशा निर्देश के अंतर्गत मान्य सुझावों/मांगों का समावेश यथायोग्य डी.पी.आर. में किया जावे साथ ही अमान्य सुझावों/मांगों को अस्वीकार्य कारणों सहित ग्रामवासियों को अवगत कराना है। इस कार्यवाही का Documentation संलग्न करना है। उपस्थित ग्रामवासियों से संवाद करते हुये फोटोग्राफ, उपस्थित ग्राम वासियों के हस्ताक्षर एवं मोटिंग में उपस्थित पी.आई.यू. एवं कंसलटेंट के स्टॉफ के हस्ताक्षर तथा मोटिंग का स्थान एवं दिनांक अंकित किया जाये। मोटिंग में एस.टी., एस.सी., महिलाओं का सक्षम पतिनिधित्व हो। आदिवासी विकासखण्ड में प्रस्तावित मार्गों के निर्माण हेतु ग्रामवासियों की सहमति का कार्यवाही विवरण में उल्लेख करें।

(2) सी.डी. स्टक्चर :- मार्ग में प्रत्येक Existing CD एवं प्रस्तावित CD हेतु Cachement Area का आंकलन किया जाना है यदि Existing CD की ओपनिंग वस्ताविक Cachement Area के अनुरूप नहीं है तो उसको तदनुसार Upgrade करें। जिसका उल्लेख डी.पी.आर. में करें।

(3) वल्डबैंक मिशन द्वारा कुछ डी.पी.आर. के परोक्षण में पाई गई कमियों की प्रति सलंगन है तदनुसार सभी डी.पी.आर. में आवश्यक सुधार/परिवर्तन करना सुनिश्चित करें।

(4) प्रत्येक पी.आई.यू. से वल्डबैंक मिशन को भेजने हेतु पॉच-पॉच डी.पी.आर. भेजा जाना है, अतः इन पॉचों डी.पी.आर का सूक्ष्मता से महाप्रबंधक स्वयं परीक्षण कर संबंधित सहायक प्रबंधक एवं वे स्वयं हस्ताक्षर कर दिनांक 16.11.2016 तक हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी (mprcp@rediffmail.com) में भेजना सुनिश्चित करें।

डी.पी.आर. निर्माण हेतु पूर्व में दिये सभी निर्देश यथावत रहेंगे।

संलग्नः— वल्डबैंक से प्राप्त Observations की कॉपी।

(पंकज झंवर)

मुख्य महाप्रबंधक—III

मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण
भोपाल

भोपाल, दिनांक 11/11/2016

प. क्र. 23108/22/वि-12/WB-24/2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्रा. भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एम.पी.आर.सी.पी. भोपाल।
3. समस्त मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सङ्क विकास प्रा. भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित कंसलटेंट द्वारा महाप्रबंधक।

संलग्नः— वल्डबैंक से प्राप्त Observations की कॉपी क्र. 3 व 4 हेतु।

मुख्य महाप्रबंधक—III

मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण
भोपाल

